न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 70/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/114)

वादी बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुशीला देवी पत्नी ईसर राम जाति नायक निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर।	1. गंगाराम पुत्र धुड़ा राम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 15 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. निलम देवी पुत्री जेठा राम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 15 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 3. पूर्ण राम पुत्र जेठा राम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 15 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 4. प्रवीण कुमार पुत्र सुखराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 15 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 5. मीरा देवी पुत्री जेठा राम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 15 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 6. रमेश कुमार पुत्र पेमा राम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 15 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 7. राधा देवी पत्नी जेठा राम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 15 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 8. लक्ष्मी देवी पत्नी सुखराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 15 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 9. विजयपाल पुत्र सुखराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 15 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 10. शांति देवी पुत्री जेठा राम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 15 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 11. संतोष कुमार पुत्र जेठा राम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 15 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 12. बलवीर कौर पत्नी रतन सिंह जाति धानक निवासी वार्ड नम्बर 14 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 13. निर्मल सिंह पुत्र रतन सिंह जाति धानक निवासी वार्ड नम्बर 14 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 14. मंगल सिंह पुत्र रतन सिंह जाति धानक निवासी वार्ड नम्बर 14 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 15. विक्रमजीत पुत्र नत्थू राम जाति धानक निवासी वार्ड नम्बर 19 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 16. रिंकू पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति धानक निवासी वार्ड नम्बर 19 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 17. नवनीत कुमार पुत्र रामलाल जाति धानक निवासी वार्ड नम्बर 19 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 18. नीलम देवी पत्नी बलविन्द्र कुमार जाति धानक निवासी वार्ड नम्बर 19 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 06.05.2024

उपस्थितः1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

--निर्णय-- दिनांकः24.07.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 4 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 123/105 के मुरब्बा नम्बर 21, 55/11 की कुल 5.717 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में वादी के नाम 0.822 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व अभिलेख में वादी अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त दर्ज है। वादी की उक्त भूमि जरिए बैयनामा खरीदशुदा है और भूमि की खरीद की रोज से वादी का कब्जा काश्त चक 4 यू के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 17, 18, 19, 20 पर शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादी का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादी ने आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 123/105 के मुरब्बा नम्बर 21, 55/11 की कुल 5.717 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 17 , 18, 19, 20 का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस एकपक्षीय सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादी का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 4 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 123/105 के मुरब्बा नम्बर 21, 55/11 की कुल 5.717 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी सुशीला देवी (0.822 हैक्टेयर) के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादी एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी}
(civil procedure code, Appendix "D-1")
अज अदालत सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
सुशीला देवी बनाम गंगाराम आदि
धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 70/2024
निर्णय दिनांकः-24.07.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 4 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 123/105 के मुरब्बा नम्बर 21, 55/11 की कुल 5.717 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी सुशीला देवी (0.822 हैक्टेयर) के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादी एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 24.07.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2024/421 दिनांकः 24.07.2024

प्रतिलिपिः- तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर